न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

लियाकत हुसैन **<u>बनाम</u>** नरेश जैन
परिवाद संख्या ————————
अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	08.08.2016 :– परिवादी अनुपस्थित । परिवादी के अधिवक्ता उपस्थित जिन्होंने परिवादी की आज की हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो आज के लिये स्वीकार किया जाता है । परिवाद एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । परिवाद दर्ज रजिस्टर किया जावे । बहस प्रसंज्ञान सुनी गई तथा परिवाद पत्र का अवलोकन किया गया। परिवाद पत्र व परिवादी के ताईदी शपथ पत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त नरेश जैन ने अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु परिवादी को चैक संख्या 000004 रूपये 6,00,000/– दिनांक 10.01.2016 दिया जो परिवादी ने एच डी एफ सी बैंक, शाखा–राजसमन्द में पेश किया तो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण चैक अनादरित होकर दिनांक 10.03.2016 को लौटा दिया गया। तत्पश्चात् परिवादी की ओर से दिनांक 19.03.2016 को अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस जरिये अधिवक्ता प्रेषित किया गया परन्तु अभियुक्त द्वारा निर्धारित अवधि में अनादरित चैक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया। उक्त मूल चैक, रिटर्न मीमो, नोटिस की प्रति, नोटिस पंजीयन की रसीद आदि परिवाद पत्र के साथ संलग्न है। इस प्रकार अभियुक्त नरेश जेन पुत्र तेजसिंह, जाति– जैन, निवासी– 43/60 न्यू अशोक विहार, न्यू भोपालपुरा, उदयपुर के विरूद्ध उक्त अनुसार धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एनआई एक्ट के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे । न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होता रहता है, अतः प्रकरण का सम्मन प्रकरण की भांति विचारण किया जाना न्यायोचित है । अतः इस प्रकरण को आगे से परिवाद पर संस्थित सम्मन मामले की भांति विचारित किया जायेगा । परिवादी द्वारा नियमानुसार पी.एफ., गवाह सूची व परिवाद की प्रति पेश किये जाने अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामील अभियुक्त दिनांक 17.10.2016 पेश हो।	